न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर सादूलशहर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 106/2013

1. बगड़ावत पुत्र बीरबल जाति सुथार (जागिड़ ब्राहम्ण) निवासी रोहिड़ावाली सुथारान तहसील श्रीगंगानगर।
2. विनोद कुमार पुत्र शंकरलाल जाति सुथार (जागिड़ ब्राहम्ण) निवासी रोहिड़ावाली सुथारान तहसील श्रीगंगानगर।
3. सुशील कुमार पुत्र शंकरलाल जाति सुथार (जागिड़ ब्राहम्ण) निवासी रोहिड़ावाली सुथारान तहसील श्रीगंगानगर।

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।
2. धन्नाराम पुत्र खेतराम जाति सुथार (जागिड़ ब्राहम्ण) निवासी रोहिड़ावाली सुथारान तहसील श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. बाबत विभाजन

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री दिनेश छाबड़ा अधिवक्ता — वादीगण
2. पैरोकार राज — प्रतिवादी संख्या 1

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 28.05.2018

वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद पत्र इस न्यायालय मे अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. के तहत इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि वादीगण के नाम से चक 2 क्यू का खाता संख्या 30/26 में मुरब्बा नम्बर 9 में 2.911 एवम् 10 मे 3.365 कुल 6.276 हैक्टर कृषि भूमि है वादीगण के नाम वादाधीन भूमि में वादी संख्या 1 के नाम 3.099, वादी संख्या 2 व 3 के नाम सुयक्त रूप से 3.099 हैक्टर भूमि संयुक्त खाता में दर्ज रिकार्ड है एवम् 0.076 हैक्टर भूमि धन्नाराम पुत्र खेतराम के नाम से दर्ज रिकार्ड है धन्नाराम का देहान्त हो चुका है धन्नाराम के कोई औलाद नरीना अथवा मदीना नहीं है एवम् ना ही उसकी पत्नी अथवा माता जीवित है धन्नाराम का कोई वारिस नहीं है ऐसी स्थिति में इस खाता में धन्नाराम के नाम से अंकित 0.076 का कोई भी वारिस ना होने के कारण उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार राज्य सरकार में सहाहीत हो चुके है वाधाधीन भूमि का मौके पर परस्पर सहमती से अच्छी से अच्छी एवम् बुरी से बुरी भूमि का घरू बंटवारा कर भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है।

1. वादी संख्या 1 का हिस्सा व कब्जा काश्त :– चक 2 क्यू का खाता संख्या 30/26 में मुरब्बा नम्बर 10 में किला नम्बर 13 ता 25 कुल 3.289 हैक्टर
2. वादी संख्या 2 के हिस्सा व कब्जा काश्त :– चक 2 क्यू का खाता संख्या 30/26 में मुरब्बा नम्बर 9 में किला नम्बर 3/.228, 4/.228, 5/.228, 6/.253, 7/.253, 8/.253 कुल 1.443 हैक्टर।
3. वादी संख्या 3 के हिस्सा व कब्जा काश्त :– चक 2 क्यू का खाता संख्या 30/26 में मुरब्बा नम्बर 9 में किला नम्बर 1/.228, 2/.228, 9/.253, 10/.253, 11/.253, 12/.253 कुल 1.468 हैक्टर।

लगातार 2

इसके अलावा वादी संख्या 1 को मुरब्बा नम्बर 11 में जाने के लिये रास्ता की सहूलियत हेतु मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 1, 10 में एक एक बिस्वा तथा किला नम्बर 11 में 8.25X66 फीट रास्ता छोड़ा हुआ है, जो कि विभाजन के साथ रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवानें हेतु वादीगण सहमत है।

मुरब्बा नम्बर 10 का 1 ता 11 एवम् 12 की 0.177 हैक्टर भूमि पूर्व में धन्नाराम मृतक की सीलिग में अधिग्रहण हो चुकि है, महल 0.076 हैक्टर भूमि धन्नाराम के नाम संयुक्त खाता मे अंकित है उक्त .076 हैक्टर भूमि का कोई वारिस नहीं होनें के कारण तहसील श्रीगंगानर के ख्क 2 क्यू का मुरब्बा नम्बर 10 का किला नम्बर 12 में 0.076 हैक्टर भूमि यदि राज्य सरकार में समाहित की जाती है, तो वादीगण को कोई एतराज नहीं है। एवम् शेष खाता का उपरोक्तानुसार विभाजन किये जाने बाबत वादीगण वाद प्रस्तुत कर रहे है उक्त वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 की और से पैरोकार राज नें अपना जबाब दिनांक 14.10.2014 को प्रस्तुत किया प्रतिवादी संख्या 2 धन्नाराम के बारे में वारिसान को सूचित करनें हेतु दैनिक लोकसम्मत समाचार पत्र दिनाक 02.07.2015 में प्रकाशन करवाये जानें पर दिनांक 07.08.2015 तक कोई उपस्थित नहीं आनें के कारण एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए वादीगण के वकील को सुना गया। वकील वादी नें अपनी बहस में तर्क दिया कि भूमि संयुक्त खाते में है अतः प्राथमिक डिक्री जारी कर प्रस्ताव मंगवाकर अन्तिम डिक्री जारी की जावे।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया जाकर वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाना न्यायोचित पाये जानें पर वाद वादी प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया गया कि राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव भिजवानें हेतु लिखा जानें पर तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा अपनें पत्र क्रमांक भू.अ./2065 दिनांक 02.04.2018 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव भिजवाया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना गया। दौरानें बहस सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि तहसीलदार श्री गंगानगर द्वारा मुताबिक रिकार्ड विभाजन प्रस्ताव भिजवाया गया है जबकि वादीगण द्वारा अपनी सहमती से अच्छी मन्दी के अनुसार भूमि को कम ज्यादा करते हुए पारस्परिक सहमती के अनुसार विभाजन किया गया है। अतः वादीगण की सहमती के अनुसार ही अपनें वाद पत्र में चाये गये अनुतोष के अनुसर ही विभाजन स्वीकार किया जावे। विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया वादी के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वाद वादीगण की सहमती के अनुसार स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

—:: आदेश ::—

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत वाद वादी स्वीकार किया वादीगण की सहमती के आधार पर निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :—

1. वादी संख्या 1 बगड़ावत पुत्र बीरबल जाति सुथार (जागिड़ ब्राहम्ण) निवासी रोहिड़ावाली सुथारान तहसील श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि का विवरण :—

चक नम्बर	खाता संख्या	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
2 क्यू.	30/26	10	13 ता 25 सालम	3.289 हैक्टर

बगातार 3

2. वादी संख्या 2 विनोद कुमार पुत्र शंकरलाल जाति सुथार (जागिड़ ब्राहम्ण) निवासी रोहिड़ावाली सुथारान तहसील श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि का विवरण :–

चक नम्बर	खाता संख्या	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
2 क्यू.	30/26	9	3/.228, 4/.228, 5/.228, 6/.253, 7/.253, 8/.253	1.443 हैक्टर

3. वादी संख्या 3 सुशील कुमार पुत्र शंकरलाल जाति सुथार (जागिड़ ब्राहम्ण) निवासी रोहिड़ावाली सुथारान तहसील श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि का विवरण :–

चक नम्बर	खाता संख्या	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
2 क्यू.	30/26	9	1/.228, 2/.228, 9/.253, 10/.253, 11/.253, 12/.253	1.468 हैक्टर

वादीगण द्वारा विभाजन के दौरान मुरब्बा नम्बर 11 में जाने के लिये रास्ता की सहूलियत हेतु मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 1, 10 में एक एक बिस्वा तथा किला नम्बर 11 में 8.25X66 फीट रास्ता छोड़ा हुआ को स्वीकार करने हेतु निवेदन किये जानें पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के अर्न्तगत मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 1, 10 में एक एक बिस्वा तथा किला नम्बर 11 में 8.25X66 फीट गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे। तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 28.05.2018 को लिखवाया जाकर न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत साहुवाला में आयोजित राजस्व लोक अदालत के मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
श्रीगंगानगर